



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-01082026-275086
CG-KA-E-01082026-275086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4029]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948

No. 4029]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिमी रेलवे)

अधिसूचना

हुबबल्लि, 29 जुलाई, 2026

का.आ. 4199(अ).— यतः भारत सरकार, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/सड़क सुरक्षा परियोजनाएं/मुख्यालय/हुबबल्लि (सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुबबल्लि) की अधिसूचना सा.का.नि. 2120ई दिनांक 28.04.2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2, खंड 20 अ के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसके द्वारा रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुबबल्लि ने उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को "कामासमुद्रम और बिसानत्तम स्टेशनों के बीच कि.मी. 273/100-200 पर समपार संख्या 112 के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण" के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

उक्त भूमि कर्नाटक राज्य में कामासमुद्रम ग्राम, बंगारपेट तालुक, कोलार जिला में स्थित है। और यतः उक्त अधिसूचना का सार निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 09.05.2026 को रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था: (1) डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी), (2) द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), (3) द हिन्दू (अंग्रेजी), (4) विजय कर्नाटक (कन्नड़), (5) उदयवाणी (कन्नड़), (6) कन्नड़ प्रभा (कन्नड़), (7) कोलारवाणी (कन्नड़), और (8)

प्रजावाणी (कन्नड)। और यतः सक्षम प्राधिकारी को धारा 2, खंड 20 अ के अंतर्गत दायर आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिन पर विचार कर उनका उचित निपटारा कर दिया गया है। और यतः रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ड के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपना प्रतिवेदन रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुब्लि को प्रस्तुत कर दिया है।

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी के उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति पर तथा रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुब्लि एतद्वारा घोषणा करता है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी चाहिए; और आगे, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुब्लि एतद्वारा यह भी घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के बंगारपेट तालुक के कामासमुद्रम गांव में स्थित, निर्माण सहित या बिना निर्माण के, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र सं	गांव/तालुक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल भूमि क्षेत्र (ए-जी-ए)	अधिग्रहण क्षेत्र (ए-जी-ए)	भूमि स्वामी/हितधारक का नाम
1	कामासमुद्रम/ बंगारपेट	39/ 2A1	1-09-04 (खराबू 1-11-0 इनु-0-38-04 खुशखी -0)	0-05-00	वेंकटेश भट्ट, नारायण भट्ट के पुत्र।
2	कामासमुद्रम/ बंगारपेट	40/2	1-24-0 (खराबू 0-05 इनु 1-19 खुशखी 0)	0-02-04	वी.एल. सत्य नारायण शेट्टी और के.श्रीनवास मूर्ति -संयुक्त खाता
3	कामासमुद्रम/ बंगारपेट	40/ 1B	0-39-0 (खराबू 0-12 इनु 0-27 खुशखी-0)	0-04-00	वि.गोपाल शेट्टी बिन राजगोपाल शेट्टी
4	कामासमुद्रम/ बंगारपेट	28/2	0-20-0 (खराबू 0-05 इनु- 0-15 खुशखी 0)	0-01-08	सूर्यनारायणचारी बिन के.एन.रामाचारी
5	कामासमुद्रम/ बंगारपेट	28/3	0-21-0 (खराबू 0-06 इनु 0-15 खुशखी 0)	0-01-08	के कृशाचारी बिन कोदंडाचारी
6	कामासमुद्रम/ बंगारपेट	26	----	0-08-04	सरकारी भूमि (गोमाला)
7	कामासमुद्रम/ बंगारपेट	--		0-01-04	सरकारी भूमि (ग्रामथाना)

[फा. सं. द.प.रे./नि./352/रे.सु.का./भूमि/20ई/2026-27]

निंगप्पा चंदप्पा चालुवाडी, उप मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Western Railway)****NOTIFICATION**

Hubballi, the 29th July, 2026

S.O. 4199(E).— Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Chief Administrative Officer/Construction/ Road Safety Projects/Head Quarters/Hubballi (CAO/C/RSP/HQ/Hubballi) S.O. 2120E dated.28.04.2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, CAO/C/RSP/HQ/Hubballi, declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for " Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No.112 at Km: 273/100-200 between Kamasamudram and Bisanattam stations (Kamasamudram village, Bangarpet taluk, Kolar district)"In the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in following daily news papers (1) Deccan Herald(English),(2) The new Indian Express(English),(3) The Hindu(English),(4) Vijay Karnataka (Kannada),(5) Udayavani (Kannada),(6) Kannada Prabha (kannada),(7) Kolarvani (Kannada),and (8) Prajavani (kannada) dated 09.05.2026, under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, South Western Railway, CAO/C/RSP/HQ/Hubballi.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, CAO/C/RSP/HQ/Hubballi, hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, CAO/C/RSP/HQ/Hubballi hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in the village of Kamasamudram, Bangarpet taluk,Kolar District in the state of Karnataka

Sl. No.	Name of the Village/Taluk	Survey Nos.	Total Land Area A-G-A	Area of land acquisition in A-G-A	Name of the land Owner/Interested person
1	Kamasamudram /Bangarpet	39/ 2A1	1-09-04 (Kharabu1-11, Inu-0-38-04 Khushki 0)	0-05-00	Venkatesha Bhatta, Son of Narayana Bhatta.
2	Kamasamudram/Bangarpet	40/2	1-24-0 (Kharabu 0-05 Inu 1-19 Khushki 0)	0-02-04	V.L Sathya Narayan Shetty & K.Shrinavas Murthy -Joint account
3	Kamasamudram /Bangarpet	40/ 1B	0-39-0 (Kharabu 0-12 Inu 0-27 Khushki 0)	0-04-00	V.Gopal Shetty Bin Rajgopal Shetty
4	Kamasamudram /Bangarpet	28/2	0-20-0 (Kharabu 0-05 Inu- 0-15 Khushki 0)	0-01-08	Suryanarayanachari Bin K.N.Ramachari

5	Kamasamudram /Bangarpet	28/3	0-21-0 (Kharabu 0-06 Inu 0-15 Khuskhi 0)	0-01-08	K Krinshachari Bin Kodandachari
6	Kamasamudram /Bangarpet	26	----	0-08-04	Government land (Gomala)
7	Kamasamudram /Bangarpet	--		0-01-04	Government land (Gramthana)

[F. No. SWR/W.352/RSP/Land/20E/2026-27]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer